

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 1504

दिनांक:- 17-07-2025

कार्यालय आदेश

सुश्री मूमल बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर के राजकाज संदर्भ नम्बर-14797587 दिनांक 22.04.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमारण्डेम दिनांक 06.01.2020 व 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 21.04.2025 से 18.06.2025 तक (कुल 59 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री मूमल बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नम्बर-749055) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। इनकी परिवीक्षाधीन अवधि उक्तानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ायी जावेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त (राजस्व) विभाग की डायरी संख्या 1716 दिनांक 25.06.2025 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 1504

दिनांक:- 17-07-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. सुश्री मूमल बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नम्बर-749055) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)